कार्यालय–जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई के प्रांगण में फोटोकापी मशीन की दुकान की शेष वित्तीय वर्ष 2025–2026 हेतु ठेके की नीलामी दिनांक **02.07.2025** को सांय 03:00 बजे से 05:00 बजे तक न्याय भवन के सभागार में होगी। धरोहर की धनराशि 5000.00 रू0 बोलीकर्ता द्वारा बोली बोलने के पूर्व अमीन– प्रथम, सिविल कोर्ट उरई के पास उसी दिन जमा करनी होगी। प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति की धरोहर राशि 5000.00 रू0 जमा होगी, केवल अधिकतम बोलीकर्ता की धरोहर राशि जमा रहेगी शेष प्रतिभागियों की धरोहर राशि नीलामी की कार्यवाही समाप्त होने के बाद वापस होगी।

नीलामी समाप्त होने पर अधिकतम बोली व्यक्ति को आधी रकम तुरन्त जमा करनी होगी तथा शेष रकम दिनांक 01.08.2025 को जमा करनी होगी।

(क) बोली बोलने वाले व्यक्ति बकायादार एवं काली सूची के अन्तर्गत न आता हो।

(ख) बोली स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जिला जज, जालौन स्थान उरई के पास सुरक्षित होगा।

(ग) बोली बोलने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला पंजीकृत न हुआ हो और न ही लम्बित हो। इस तथ्य का शपथ पत्र प्रत्येक बोलीकर्ता को बोली बोलने से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त नीलामी की सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की बेबसाइट "https://www.allahabadhighcourt.in" व जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई की बेबसाइट "https://jalaun.dcourts.gov.in" पर भी उपलब्ध है।

दिनांकः

(सतीश चन्द्र द्विवेदी)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई।

प्रतिलिपि सेवा में:–

1. कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
2. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, उरई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
3. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0, उरई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
4. अमीन–प्रथम, सिविल कोर्ट को तुरन्त मुनादी एवं विस्तृत प्रचार प्रसार कराने हेतु।
5. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जजशिप उरई को सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
6. दैनिक कर्मयुग प्रकाश, उरई को निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. दैनिक अग्नि चरण, उरई को निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
8. जनपद न्यायालय हमीरपुर।
9. जनपद न्यायालय कानपुर देहात।
10. जनपद न्यायालय कानपुर नगर।
11. जनपद न्यायालय झांसी।
12. जनपद न्यायालय औरैय्या।
13. बाह्य स्थित न्यायालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
14. जिला सूचना अधिकारी, जालौन स्थान उरई को निःशुल्क प्रचार–प्रसार करवाने हेतु।

दिनांकः

(सतीश चन्द्र द्विवेदी)